



E-mail: jannigam.mussoorie@yahoo.com

ई-मेल : eecd.ujnmussoorie@gmail.com

फोन : 0135-2736032

फैक्स : 0135-2733132

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण शाखा

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, मसूरी (देहरादून)

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

कुटुम्ब विहार, ग्रा0 व पो0 सिनौला, देहरादून - 248003

पत्रांक

114 / 133 / 09

दिनांक 17.01.2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग,
मसूरी।

विषय :

जनपद देहरादून मसूरी नगरपालिका क्षेत्रान्तर्गत मसूरी सीवरेज योजना सीवरेज टैंक के अन्तर्गत आर्केडिया जोन में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण हेतु 0.02 है0 वन भूमि के सम्बन्ध में।
(FP/UK/Others/27134/2017)

महोदय,

भारत सरकार के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/09/148/2018/एफ0सी0/2057, दिनांक 02.01.2019 के द्वारा आर्केडिया जोन में प्रस्तावित एस0टी0पी0 के वन भूमि प्रस्तावों में लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नानुसार है।

क्र0स0.	आपत्ति	निराकरण
1	Incomplete CA Scheme is found uploaded.	वांछित भूमि 1.00 है0 से कम है, अतः CA Scheme का प्राविधान नहीं किया गया है। उक्त हेतु प्रस्तावित स्थल के आस-पास 100 वृक्षों का वृक्षारोपण प्रस्तावित है जिसका प्राक्कलन online addition information के क्रमांक 44 पर uploaded है। (चार प्रतियां संलग्न हैं)
2	Authority letter is not submitted in hard copy.	Authority letter में Hard copy की चार प्रति संलग्न है।
3	Muck dumping scheme certificate is not c/s by DFO.	Muck dumping scheme certificate पर आपके हस्ताक्षर वांछनीय हैं। (चार प्रतियां संलग्न हैं)
4	Part V is not received in hard copy.	Part V में Hard copy की चार प्रति संलग्न है।
5	The legal status of the area is "Notified private forest land" of Mussoorie where several activities are prohibited.	उक्त का प्रमाण-पत्र (चार प्रति) संलग्न है। आपके हस्ताक्षर किये जाने हैं।
6	Original hard copy of tree enumeration list is required.	वृक्षों की गणना की सूची संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट में अंकित है। (चार प्रति संलग्न है)

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

पृ0सं0

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।

Van bhomi

अधिशासी अभियन्ता

"जल संचय-जीवन संचय" "कृपया जल श्रोतों को प्रदूषित होने से बचाइये।"
वैधानिक चेतावनी - जल श्रोतों को प्रदूषित करना दण्डनीय अपराध है।